सं. 15/63/2013-रा0भा0(सेवा)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***

एनडीसीसी–II (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक: 11 फरवरी, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति ।

*****

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.7.2013 के तहत केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित स्थानांतरण नीति के संबंध में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग की विभिन्न एसोसिएशनों से सुझाव मांगे गए थे। प्रसंगित विषय पर उल्लेख किया जाना है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की एसोसिएशन से प्राप्त सुझावों के आधार पर इस संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति को अंतिम रूप दिया गया है। अत: केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि इस नीति के अंतर्गत जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण अपेक्षित है, इस स्थानांतरण नीति के अनुसार अपना विकल्प (अपेक्षित प्रोफार्मा राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है) इस विभाग को भिजवाएं ।

(ए. के. सिंह)
निदेशक
दूरभाष: 23438126

1. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय ।
2. श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एनआईसी ।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति

1. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने एक मंत्रालय/ विभाग/संबद्ध कार्यालय में लगभग 5 वर्ष की सेवा पूरी की है, को उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार मंत्रालयों/विभागों में स्थानांतरित किया जाएगा (स्थानांतरण से पहले विकल्प मांगे जाएंगे)। जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों की पदोन्नति निकट भविष्य में होने वाली होगी उन्हें उनकी पदोन्नति के बाद हीं स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में 5 वर्ष पूरा होने या न होने की स्थिति लागू नहीं होगी ।

2. जिन मंत्रालयों/विभागों के लिए एक से ज्यादा विकल्प प्राप्त होंगे, उन मंत्रालयों/विभागों/ संबद्ध कार्यालय में विकल्प में उठाए गए कारणों (यातायात की सुविधा/ आयु की वरीयता/बीमारी की परिस्थिति) पर ध्यान देते हुए उनकी तैनाती पर विचार किया जाएगा । शारीरिक रूप से अपंग कर्मचारियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगर उस कार्यालय में पद रिक्त है (उनकी तैनाती की अवधि को नजरअंदाज करते हुए) तो यथा संभव उन्हें उसी मंत्रालय/विभाग में रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

3. जो अधिकारी/कर्मचारी दो वर्ष की अवधि के दौरान अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले होंगे तथा उक्त मंत्रालय/विभाग में संबंधित पद उपलब्ध होगा तो उन्हें यथा संभव उसी मंत्रालय में या उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर तैनाती दी जाएगी।

4. इस नीति के अन्तर्गत जो अधिकारी/कर्मचारी मंत्रालयों में कार्यरत होंगे, उन्हें यथासंभव दूसरे विभागों के अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों में उनके विकल्पों के आधार पर तथा उसी प्रकार विभागों एवं संबद्ध कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को मंत्रालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्हें उस मंत्रालय/विभाग के संबद्ध कार्यालयों में तैनाती नहीं दी जाएगी जहां वे तैनात होंगे। जहां तक संभव होगा महिला अधिकारियों/ कर्मचारियों की घरेलू परिस्थितियों को ध्यान रखा जा सकता है।

5. जो अधिकारी/कर्मचारी दिल्ली के बाहर के कार्यालयों में कार्यरत हैं उन्हें इस स्थानांतरण नीति से बाहर रखा जाएगा । उनकी पदोन्नति के समय अगर उस स्थान पर पद रिक्त है तो यथासंभव वहीं तैनाती दी जा सकती है अन्यथा उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि वे बाहर के कार्यालयों से दिल्ली स्थित कार्यालयों/अन्य नगरों के कार्यालयों में जाने के इच्छुक होंगे तथा पद की उपलब्धता होगी तो उस पर विचार किया जा सकता है।

6. जिन मंत्रालयों/विभागों से 2 या 2 से अधिक अधिकारी/कर्मचारी स्थानांतरित/पदोन्नत होंगे, में से जिस अधिकारी/कर्मचारी की कार्यरत अवधि तुलनात्मक कम होगी, को उसी मंत्रालय में रखा जा सकता है (चाहे उसने 5 वर्ष से अधिक की सेवा उस मंत्रालय/विभाग में पूरी कर ली हो) ताकि उस मंत्रालय विभाग का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। अत: जिस अधिकारी के 5 वर्ष पूरे होने पर उसे उस समय स्थानांतरित नहीं किया गया है, को अगले वर्ष उस मंत्रालय से स्थानांतरित किया जाएगा।

7. अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रत्येक वर्ष माह मई से जुलाई तक की अवधि में स्थानांतरण किया जाएगा। अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण हेतु अनुरोध (विकल्पों सहित) प्रत्येक वर्ष मार्च के माह में ही स्वीकार्य होंगे।

8. कार्य की आवश्यकता या किसी विशेष परिस्थिति में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को स्थानांतरित किए जाने का अधिकार राजभाषा विभाग के पास होगा।